नम्बर व
की जो
तामिल में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 94 / 2024
जीसीएमएस नं. : 2024 / 201
1. भूपेश कुमार पुत्र बूलचन्द जाति सिंधी निवासी श्रीविजयनगर तह. श्रीविजयनगर
—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर
2. नरेन्द्रजीत कौर पत्नी नामदार सिंह जाति जटसिख निवासी 29 जीबीए तहसील श्रीविजयनगर
—प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त.अधि.
एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :—

1. श्री लाजपतराय, अधिवक्ता वादी / प्रार्थी
2. राजपैरोकार
3. अनुपस्थित / एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी / अप्रार्थी सं. 2

—:: आदेश ::—

दिनांक : 8/10/2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि —

1. वादी / प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 29 जीबी ए मु.नं. 71 प.नं. 176 / 416 के कि.नं. 21 का 0.253है. में से 0.1312है. बाग नहरी खातेदार रकबा है। उक्त रकबा प्रार्थी का जरिये बैयनामा दिनांक 20.06.2018 को खरीदशुदा है। उक्त रकबा का इन्तकाल दिनांक 27.06.2018 को प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के उक्त रकबा दक्षिण व पश्चिम पासा खाला एवं सड़क के साथ चिपता हुआ खरीद किया था। जो रिकार्ड में दर्ज किया गया है उसमें प्रार्थी के भाग को कि.नं. 21 / 1 दर्शाया गया है। लेकिन नक्शा में कि.नं. 21 / 1 उत्तर की ओर प्रदर्शित है जबकि प्रार्थी द्वारा क्रय किया गया भाग दक्षिण—पश्चिम है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नक्शा में 21 / 1 जो उतर की ओर प्रदर्शित है को सही कर दक्षिण व पश्चिम पासा खाला व सड़क के साथ चिपता हुआ दुरूस्त करने के आदेश देने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर पर प्रतिवादी को तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गयी। प्रकरण में मात्र नक्शा तरमीम में दुरूस्ती का अनुतोष चाहा गया है न कि किसी प्रकार की घोषणा का ऐसी स्थिति में प्रकरण धारा 88 राज.काश्त.अधि. के विचारणीय नहीं होकर मात्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया का है, जो मात्र राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती की हद तक विचारणीय है। ऐसी स्थिति में वाद पत्र मात्र धारा 136 भू रा[illegible]क ग्रहण कर विचारण किया जा रहा है। अप्रार्थी सं. 2 के [illegible] एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 19.08.2025 को अमल में [illegible]नगर के पत्रांक / भू. अ. / 2025 / 1540 दिनांक 30.04.2025 के [illegible] रिपोर्ट प्राप्त हुई।
3. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रा[illegible] / वादी अपनी बहस [illegible] पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए भूमि बैयनामा में वर्णित एवं मौका कब्जा के अनुसार राजस्व नक्शा तरमीम को दुरूस्त करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया।
4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर का परिशीलन किया। जमाबंदी चक 29 जीबी ए खाता सं. 113 में दर्ज अनुसार मु.नं. 71 कि.नं. 21 / 1 का

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 12:57:37 IST
Reason: SelfAttested

0.1312है. बाग रकबा वादी के नाम से खातदार दर्ज है। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज उप पंजीयक श्रीविजयनगर द्वारा पंजीबद्ध बैयनामा नरेन्द्रजीत कौर बहक भूपेश कुमार दिनांक 21.06.2018 में वर्णित भूमि के विवरण के बिन्दू सं. 9 में अंकित है कि "बैय किया जा रहा रकबा कि.नं. 21 का 0.1312 है. रकबा को हरीपुरा रोड व खाले के साथ चिपते भाग को बैय किया गया है व इसी भाग का कब्जा मौका पर दिया गया है"। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के अनुसार मौका अनुसर "भूपेश कुमार का कब्जा दक्षिणी–पश्चिमी दिशा तथा नरेन्द्र जीत कौर का कब्जा उत्तरी पूर्वी दिशा में है। भू नक्शा में सेग्रीगेशन के समय संहवन से गलत तरमीम दर्ज हुई थी, जो कि मौका कब्जा अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित होगा।" रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी जिसमें भूमि कि.नं. 21/1 व कि.नं. 21/2 को भू–नक्शा एवं मौका कब्जा अनुसार पृथक पृथक दर्शाया गया है का अवलोकन किया। जिस अनुसार प्रार्थी का कब्जा मौका कि.नं. 21 के दक्षिणी–पश्चिमी हिस्से में है तथा भू – नक्शा में कि.नं. 21 को उत्तर व दक्षिण दो भागों में बांटकर दर्शाया गया है। जिसकी दुरूस्ती प्रार्थी द्वारा चाही गयी है तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा अनुशंषा की गई है। प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 21.06.2018 एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर के आधार पर न्यायायल का यह समाधान हो गया है कि राजस्व अभिलेख नक्शा में वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है।

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र धारा 136 राजस्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अनुतोष की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को आदेश दिया जाता है कि चक 29 जीबी ए प.नं. 176/416 मु.नं. 71 कि.नं. 21 की भूमि की तरमीम को नक्शा में तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2025/1540 दिनांक 30.04.2025 के संलग्न रिपोर्ट पटवारी में अंकित नक्शा अनुसार दुरूस्त किया जावे। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 30.04.2025 को निर्णय का भाग समझा जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08/10/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 12:57:37 IST
Reason: SelfAttested